न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल0आर0एक्ट संख्या 25/2022 जिला भीलवाड़ा

गोपी पुत्र तलोक जाति बलाई निवासी ग्राम बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 11.01.2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 269/2020 बउनवानी सरकार बनाम गोपी में पारीत किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री आर0एस0राणावत(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः—31.10.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट गोपी को खसरा नं 33/6 रकबा 2 बीघा ग्राम बांसड़ा ,पटवार मण्डल गूंदली तहसील भीलवाड़ा में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। दिनांक 11.01.2021 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) का निर्णय करते हुए न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा द्वारा बिना उन्हें सुने उक्त आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है—

1. अपीलांट प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
2. बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रार्थी अपीलांट खातेदार हो चुका है।
3. प्रार्थी अपीलांट द्वारा कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेन्टेशन कर आवंटन प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर अपील स्वीकार की जायें।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी को सुने बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2021 जारी किया गया था। उक्त आदेश एबइनिस्यु वॉइड कैटेगरी में आयेगा तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध मियाद लागू नहीं होती है। साथ ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोरोनाकॉल अवधि के समय को मियाद अवधि से बाहर रखा गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जायें। अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested

अपील के इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई दिनांक 16.03.2022 को खारिज किया गया।

बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि उक्त आवंटन दिनांक 12.06. 1992 को ग्राम बासड़ा में किया गया था तथा अपीलांट को खसरा नम्बर 33/6 रकबा 2 बीघ भूमि आवंटित की गई थी। आवंटन के बाद अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा 18 वर्ष बाद 2020 में आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर न्यायालय में लगाया था। जो बाद में अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। उनके द्वारा एकपक्षीय निर्णय दिया गया तथा अपने निर्णय में यह बताया कि जमीन आवंटन योग्य नहीं थी तथा आवंटी द्वारा काश्त भी नहीं की गई। यह कहा कि सिर्फ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंशन पर आवंटन खारिज कर सकते थे। कब्जा आवंटन के बाद ही हो गया था। भूमि का कब्जा सौंपते हुए सुपुर्दगीनामा बनाया गया था। आवंटन के तीन वर्ष बाद का तक का कोई रिकोर्ड तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि की किस्म बंजर होकर बारानी है। तीन वर्ष बाद ऑटोमेंटिक खातेदारी दी जानी चाहिए थी। अपील स्वीकार की जायें।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया है कि भूमि अभी भी गैर खातेदारी स्टेटस में थी आवंटी को खातेदारी नहीं दी गई थी। आवंटन निरस्तीकरण विधि अनुसार किया गया है। तामील पर अपीलांट के हस्ताक्षर न होकर किसी अन्य व्यक्ति क हस्ताक्षर है, इस आक्षेप के संबंध में अपीलांट सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें। अपील के दौरान अपीलांट द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. 2006 आरआरटी पेज 166 एवं 2009 आरआरटी पेज 453:– धारा 14 नियम 4 के तहत मात्र फ्रॉड एवं तथ्य छिपकार आवंटन करवाने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

. 2006 आरआरटी पेज 166 –उक्त प्रकरण फ्रॉड के आरोप लगाकर आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना की गई। मगर उक्त प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत यहां लागू नहीं होता है।

2009 आरआरटी पेज 453– आवंटन बाद खातेदारी मिल चुकी है। उसके पश्चात आवंटन निरस्तीकरण से संबंधित प्रकरण है। मगर वर्तमान प्रकरण में गैर खातेदारी स्टेटस है। उक्त न्यायिक दृष्टांत यहां लागू नहीं होता है।

2. 2001 आरआरटी पेज 643:– कब्जा दिया गया है, अब कब्जा नहीं माना जाना उचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested

अन्य विरोधी पक्ष नहीं है। इस प्रकरण में आवंटी का आवंटन निरस्त कर अन्य का आवंटन माना गया। जो बाद में खारिज कर अपीलांट का आवंटन सही माना गया है। ऐसी स्थिति वर्तमान प्रकरण में नहीं है।

3. 2019 आरआरटी पार्ट 2 पेज 838 रेवन्यु, 2016 आरआरटी पेज 83 एवं 1996 आरआरडी पेज 500:— बहुत वर्षो बाद उक्त आवंटन को चुनौति दी गई है। जबकि खातेदारी प्राप्त करने की सीमा पहले 10 वर्षों की थी अब 3 वर्षों की है।

2019 आरआरटी पार्ट 2 पेज 838 रेवन्यु, 2016—मृतक को भूमि आवंटन विपक्षी द्वारा जिला कलक्टर के यहां अपील की गई, अपील खारिज की गई। आरएए में अपील स्वीकार कर की गई। राजस्व मण्डल अजमेर ने आरएए का आदेश अपास्त किया गया। वर्तमान प्रकरण में उक्त स्थिति नहीं पाई जाती है।

4. 2007 आरआरटी पेज 1081 एवं 2009 आरआरटी पेज 1278 :— आवंटन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवंटन दिया जाकर कब्जा सौंपा गया है। अब कब्जा नहीं माना जाना गलत है।

2007 आरआरटी पेज 1081—खातेदारी दी गयी। धारा 14(4) की शिकायत पर अन्य को भूमि आवंटन नहीं है। वर्तमान प्रकरण में यह स्थिति नहीं है।

2009 आरआरटी पेज 1278—उक्त प्रकरण में आवंटी का कब्जा नहीं है। मृत्यु के बाद पुत्र ने आवंटित भूमि का कब्जा मांगा, कब्जा नहीं दिया गया। आवंटी के विधिक प्रतिनिधि को कब्जा दिया जायें। मगर वर्तमान प्रकरण में यह स्थिति नहीं है।

5. 2018 डीएनजे पार्ट 2 पेज 726 :— आवंटन के तीन वर्ष के भीतर ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। बहुत वर्षों बाद आवंटन निरस्त किया जाना गलत है।

उक्त प्रकरण में भूमि आवंटन 3 वर्षों के भीतर निरस्त किया जा सकता है। यदि आवंटन के प्रथम वर्ष में उसके(आवंटी) द्वारा 55 प्रतिशत भूमि(आवंटित भूमि मे से) काश्त की हो तथा शेष भूमि अगले वर्ष तक काश्त कर लेवें, इसके बाद(3 वर्ष बाद) उसे खातेदारी अधिकार मिल जायेगें या फ्रॉड से भूमि आवंटन प्राप्त किया हो।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2021 का है और अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 21.02.2022 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। स्युमोटो प्रकरण में उच्चत्तम न्यायालय में दी गई व्यवस्था के अनुसार फरवरी, 2022 को मियाद अवधि में नहीं गिने जाने बाबत निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested

अपील के साथ प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2021, उक्त प्रकरण से संबंधित न्यायालय की आदेशिका दिनांक 1[illegible]4.2019 से 11.01.2021, आवंटन प्रार्थना पत्र, भूमि आवंटन सुपुर्दगीनामा, आवंटित भूमि का नक्शाट्रेस, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश, जमाबंदी संवत 2072—2075 ग्राम बांसड़ा खसरा नम्बर 33/6,

रसीद संख्या 067570 ग्राम बांसड़ा , गिरदावरी 2072–75 खसरा नम्बर 33/6 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.05.2018 तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर को आवंटन पत्रावली के बारे में लिखा गया पत्र दिनांक 28.02.2019, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत गिरदावरी संवत 2064–67, 2067–71, 2072–73 उपलब्ध है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा उठाये गये आक्षेप कि उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी तथा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था पर विचार किया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस तारीख पेशी का अवलोकन किया गया। प्रथम नोटिस न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा के रीडर के हस्ताक्षर से दिनांक 15.10.2019 को जारी किया जाना पाया गया। उक्त नोटिस गोपी पिता तलोक बलाई ग्राम बांसड़ा के लिए जारी किया गया गया। उक्त नोटिस के पुश्त पर अंगूठा निशानी राधाबाई(पत्नि) अंकित किया हुआ है तथा एक तरफ गोपी(स्वयं) दर्ज किया हुआ है। अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में प्रकरण के आने पर पुनः दिनांक 15.07.2020 को गोपी को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के रीडर के द्वारा जारी किया हुआ है। उक्त नोटिस के पृष्ठ भाग पर गोपी दर्ज है तथा कोष्ठक में स्वयं के दर्ज किया हुआ है। उपरोक्त दोनो नोटिसों के अवलोकन से स्पष्ट है कि गोपी को सम्यक रूप से नोटिस तामील किये गये। अतः वकील अपीलांट की इस बात में कोई दम नहीं है कि उसके पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 11.01.2021 में कब्जाकाश्त नहीं होने और आवंटन नियम की पालना नहीं करने की वजह से आवंटन को निरस्त कर भूमि को कब्जे सरकार लिखकर राजस्व रिकोर्ड में बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया था। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख गिरदावरी संवत 2064–67, 2068–71, 2072–73 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 33/6 ग्राम बांसड़ा में अपीलांट गोपी द्वारा कोई काश्त नहीं की गई है तथा आंवटित भूमि क्षेत्रफल में 1 बिस्वा भूमि पर भी उसके द्वारा काश्त किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है। आवंटन आदेश का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 7 में आवंटन की शर्तें अंकित है।

1. दस वर्ष के लिए भूमि गैर खातेदारी अधिकार पर दी गई है। यदि इस अवधि में भू–आवंटन की शर्तों और उपबंधों का पालना करेगा तो खातेदारी अधिकार दिया जायेगा।

3. आवंटन के एक वर्ष के भीतर कम से कम पच्चास प्रतिशत क्षेत्र तथा दूसरे वर्ष अनिवार्य रूप से पूरे क्षेत्रफल में काश्त करनी होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि अपीलांट द्वारा आवंटित खसरा नम्बर में काश्त करने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत संवत गिरदावरी 2068–71 एवं संवत 2072–73 की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई है।

उक्त गिरदावरियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा काश्त नहीं किया जाना दृष्टिगोचर होता है। उक्त अपील के दौरान आवंटन दिनांक के बाद के तीन वर्ष की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जिससे उसकी बात को बल मिलता कि तीन वर्ष के बाद आवटंन निरस्त नहीं किया जा सकता है। उसके द्वारा आवंटन अवधि के तीन वर्ष के भीतर के आवंटित खसरा नम्बर काश्त करने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी अवस्था में यही माना जायेगा, जो भूमि उसे काश्त करने हेतु आवंटित की गई थी। उसको काश्त के उपयोग में नहीं लिया गया है। ऐसी अवस्था में अपीलांट को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 269/2020 अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2021 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested